लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3643

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2019

निःशक्तजनों के लिए आरवीवाई

3643. श्री सुनील कुमार पिन्टूः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के अलावा सभी निःशक्तजनों को शामिल करने का विचार है क्योंकि सम्पूर्ण देश में विशेषकर बिहार में सीतामढ़ी और शिवहर जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीपीएल श्रेणी के ऐसे युवा लोगों और बच्चों की संख्या अत्यधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): बीपीएल श्रेणी से संबद्ध तथा बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली निर्योग्यताओं/कमजोरियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (एमओएसजेई) द्वारा एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना नामतः "राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)" का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिनसे उन्हें शारीरिक कार्य करने में यथा संभव आसानी हो सके।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजन को सहायता' (एडिप) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को उनके शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण वितरित किए जाते हैं। एडिप योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांगजन सहायता के लिए पात्र होंगे :-

i) वह किसी उम्र का भारतीय नागरिक हो।

ii) उसके पास 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो।

iii) जिसकी सभी स्रोतों से मासिक आय 20,000/- रुपए से अधिक नहीं हो।

iv) आश्रितों के मामले में, माता-पिता/अभिभावकों की आय 20,000/- रुपए से अधिक नहीं हो।

v) व्यक्ति जिन्होंने समान प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी स्रोत से सहायता प्राप्त नहीं की हो। तथापि, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह सीमा 1 वर्ष के लिए होगी।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****